

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जयपुर  
(भारत सरकार द्वारा स्थापित)  
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)

फर्म का नाम : -----

पूरा पता : -----  
-----

पिन कोड संख्या (PIN Code No.): -----

निविदा प्रपत्र (Tender Form)

1- विषय: जिस कार्य/वस्तु के लिए निविदा दी जा रही है, उसका नाम: -----  
-----  
-----

2- निविदादाता का पूरा पता : -----  
-----  
-----  
-----  
-----

-----दूरभाष / मोबाईल नंबर-----  
-----  
-----

3- प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम: कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जयपुर।

4- आयकर (Income Tax) व बिक्री कर (Sales Tax/GST) चुकता प्रमाण-पत्र संलग्न है/नहीं है।

5- धरोहर राशि रुपये ----- (शब्दों में -----) रसीद संख्या / डी.डी. संख्या --  
-----दिनांक ----- 'कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर' के पक्ष में बनवाकर संलग्न कर दी गई  
है।

6- मैं/हम निविदा प्रपत्र (Tender Form) के साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करते हैं और भविष्य में इनसे  
पूर्णतः बाध्य (Bound) रहेंगे।

स्थान: .....

दिनांक: .....

निविदादाता के हस्ताक्षर  
(नाम एवं फर्म की रबर मोहर सहित)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जयपुर  
(भारत सरकार द्वारा स्थापित)  
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)  
(नागेश्वर औषधि निर्माणशाला)

निविदा शर्तें

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार एवं विकास हेतु समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। यह संस्थान योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों तथा वैद्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य (Research) के साथ-साथ आयुर्वेद पद्धति द्वारा रोगों का उपचार भी प्रदान करता है। संस्थान की नागेश्वर औषधि निर्माणशाला हेतु कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक) की आपूर्ति के लिए, संलग्न सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 'दर संविदा' (Rate Contract) के लिए बाज़ार में कार्यरत प्रतिष्ठित फर्मों से संपूर्ण विवरण सहित ई-निविदाएं (e-Tenders) आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि (EMD) 2 प्रतिशत
1	कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक)	43716654 /-	874333/-

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1	निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं भरने की प्रारंभ तिथि एवं समय : ( <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> )	27.03.2026 05:00 PM बजे से
2	प्री-बिड मीटिंग की तिथि एवं समय & स्थान : सेमिनार हॉल/केन्द्रीय भंडार/ रसायनशाला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।	02.04.2026 03:00 PM बजे से
3	निविदा ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि एवं समय : ( <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> )	17.04.2026 03:00 PM बजे से
4	धरोहर राशि (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट तथा कच्ची औषधियों के नमूने संस्थान में जमा कराने की अंतिम तिथि :	17.04.2026 03:00 PM बजे से
5	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय :	20.04.2026 03:00 PM बजे से

2. निविदा भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Important Instructions for Bidding)

(क) पोर्टल एवं वेबसाइट की जानकारी: CPPP पोर्टल: यह निविदा भारत सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से ऑनलाइन निष्पादित की जाएगी। सभी निविदाएं केवल इसी पोर्टल पर स्वीकार की जाएंगी।

(ख) NIA वेबसाइट: निविदा से संबंधित अन्य सूचनाएं, स्पष्टीकरण या शुद्धि-पत्र (Corrigendum) संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट [www.nia.nic.in](http://www.nia.nic.in) पर भी समय-समय पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(ग) निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना: निविदा प्रपत्र (Tender Form) एवं विस्तृत शर्तें ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इच्छुक निविदादाता निर्धारित तिथि से पोर्टल के माध्यम से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

(घ) पंजीकरण एवं डिजिटल हस्ताक्षर (DSC): निविदादाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) सुनिश्चित करें।

(ङ) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा खोलने की तिथि से न्यूनतम 180 (एक सौ अस्सी) दिवस तक वैध रहेगी। इस अवधि के दौरान निविदादाता अपनी दरों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाता के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा जमा करना संभव नहीं होगा।

(च) निविदा प्रस्तुतीकरण (Submission): निविदा केवल ऑनलाइन (On-line) माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। भौतिक (Physical/Hard Copy) रूप से भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(छ) पात्रता शर्तें :- निविदा में भाग लेने हेतु निम्न पात्रता शर्तें अनिवार्य होंगी:

(i) निविदादाता निर्माता (Manufacturer) / अधिकृत वितरक (Authorized Dealer) होना चाहिए।

(ii) फर्म के पास वैध औषधि निर्माण/विक्रय लाइसेंस (Drug License) होना अनिवार्य है।

(iii) फर्म किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन निविदा भरने एवं दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और 'User Manual' उक्त पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिसका अध्ययन करना अनिवार्य है।

3. **निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड** (Technical & Financial Bid) CPP पोर्टल पर ऑनलाइन (On-line) उपर्युक्त निर्धारित तिथियों के अनुसार भरी जाएंगी। निविदादाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट, नमूने (Samples), टर्नओवर, कार्य अनुभव, PAN Card, GST पंजीकरण तथा केंद्र/राज्य सरकार एवं सरकारी आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. **निविदा की धरोहर राशि (EMD)** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "Vice Chancellor, National Institute of Ayurveda" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) के रूप में तैयार कर संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के लिए चेक स्वीकार्य नहीं होंगे। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदाएं निरस्त मानी जाएंगी।

धरोहर राशि (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट एवं नमूने दिनांक **17.04.2026** को सायं 03:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा। जमा की गई धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

5. **औषधियों के नमूने (Samples) जमा करने की प्रक्रिया:** आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सीलबंद नमूने (Sealed Samples) अलग अलग पैकेट्स या कार्टून में संस्थान में भौतिक रूप से निविदा हेतु धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट (डी डी) के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिशिष्ट 'अ' (Annexure 'A') क्रम संख्या 118, 140, 146, 154, 165, 176 पर अंकित औषधियों के नमूने कम से कम 50 ग्राम की मात्रा में एवं बाकी सभी नमूने कम से कम 100 ग्राम की मात्रा में होने चाहिए। प्रस्तुत नमूनों का परीक्षण संस्थान की प्रयोगशाला अथवा NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किया जाएगा। नमूने गुणवत्ता मानकों (API/Pharmacopoeia) के अनुरूप पाए जाने पर ही संबंधित निविदा पर विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

- (क) पैकेट/कार्टून पर अंकन: मुख्य पैकेट / कार्टून पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए "Rate Contract for Supply of Raw Drugs"
- (ख) पैकिंग निर्देश: औषधियाँ नई जूट की बोरियों में पैक की जानी चाहिए। प्लास्टिक बैग का उपयोग प्रतिबंधित है।
- (ग) प्रत्येक बोरी पर सफेद टैग (White Tag) पर लेबलिंग (Labeling) करना अनिवार्य है। टैग पर निम्नलिखित अंकित होना चाहिए:
- फर्म का नाम (Name of the Firm)
  - औषधि का नाम (Name of the Drug)
  - मात्रा/वजन (Weight)
  - आपूर्ति वर्ष (Year of Supply)
  - निविदा सूची (परिशिष्ट 'अ') में क्रम संख्या (Serial Number as per Annexure 'A')
  - प्रमाणीकृत हस्ताक्षर और मोहर (Authorized Signature & Stamp)
  - कुल नमूनों की संख्या (Total Number of Samples)

उपरोक्त प्रक्रिया या लेबलिंग में किसी भी कमी पर निविदा अस्वीकार (Rejected) कर दिया जाएगा।

6. **तकनीकी निविदा का मूल्यांकन:** तकनीकी निविदा का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सक्षम समिति द्वारा किया जाएगा:

- निविदा के साथ प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों की पूर्णता एवं वैधता।
- फर्म का पूर्व अनुभव एवं संबंधित कार्य आदेश/आपूर्ति आदेश।
- प्रस्तुत किए गए नमूनों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूपता।
- फर्म का टर्नओवर एवं वित्तीय स्थिति।

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर तकनीकी रूप से पात्र (Technically Qualified) पाए जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोली जाएगी।

7. इच्छुक निविदादाता, निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजों सहित, निर्धारित तिथि एवं समय तक सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) की वेबसाइट पर ऑनलाइन (On-Line) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
8. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट संबंधी समस्याओं से बचने हेतु अंतिम तिथि एवं समय की प्रतीक्षा न करें तथा यथासंभव निर्धारित समय से पूर्व ही अपनी निविदा (On-line) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत करें।
9. सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा राशि जमा कराने के पश्चात उसकी धरोहर राशि (EMD) वापस कर दी जाएगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सफल निविदादाता का चयन होने के पश्चात, असफल निविदादाताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) नियमानुसार वापस लौटा दी जाएगी।
10. सफल निविदादाता को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा :
- (i) **सुरक्षा राशि (Security Deposit):** निविदा में आइटम-वार विश्लेषण किया जाएगा तथा निविदादाता को जिन-जिन आइटम्स में सफल घोषित किया जाएगा, उन आइटम्स के कुल अनुबंध मूल्य (निविदा अनुसार) का 5% (पाँच प्रतिशत) सुरक्षा राशि (Performance Security) के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता को कार्यदेश (Work Order) जारी होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर उक्त राशि का Demand Draft संस्थान में जमा करना होगा। यह

Performance Security अनुबंध की पूर्ण अवधि 09 माह तथा अनुबंध समाप्ति के पश्चात अतिरिक्त 60 (साठ) दिवस तक वैध रहेगी।

- (ii) **अनुबंध पत्र (Agreement):** रुपये 500/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध (Contract/Agreement) निष्पादित करना होगा। इसका प्रारूप निविदा के साथ संलग्न है। सफल निविदादाता को दर स्वीकृति पत्र / प्रथम आपूर्ति आदेश (First Supply Order) जारी होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण रूप से तैयार अनुबंध पत्र संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iii) **धरोहर राशि (EMD) की वापसी:** सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सुरक्षा राशि जमा कराने के उपरांत ही उनकी पूर्व में जमा धरोहर राशि (EMD) लौटाई जाएगी।

11. अनुबंध अवधि एवं सुरक्षा राशि की वापसी: निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर अनुबंध की अवधि 09 ( नौ ) माह की होगी।  
अनुबंध अवधि पूर्ण होने तथा जारी किए गए समस्त क्रय आदेशों की आपूर्ति संतोषजनक रूप से पूर्ण हो जाने के उपरांत, सुरक्षा राशि (Security Deposit) नियमानुसार 60 (साठ) दिवस पश्चात निविदादाता को वापस कर दी जाएगी।
12. यदि निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा शर्तों के अनुरूप आपूर्ति नहीं की जाती है, तो संस्थान को निविदादाता की धरोहर राशि (EMD) एवं सुरक्षा राशि (Security Deposit) जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा :-  
(a) पैन कार्ड (PAN Card) की स्वप्रमाणित छाया प्रति।  
(b) पिछले 3 वित्तीय वर्ष का GST रिटर्न।  
(c) पिछले वित्तीय वर्षों (03 वर्ष) का आयकर रिटर्न।  
(d) पिछले तीन वित्तीय वर्षों का न्यूनतम औसत वार्षिक **टर्नओवर राशि ₹ 2 .19 करोड़** होना अनिवार्य है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।  
(e) पिछले 03 वर्षों में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/सरकारी संस्थाओं को संबंधित सामग्री (Raw Drugs) की आपूर्ति का अनुभव, जिसके समर्थन में Purchase Order/Work Order की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा।  
उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में निविदा निरस्त मानी जाएगी।
14. **सफल निविदादाता हेतु आपूर्ति के समय पैकिंग एवं आपूर्ति निर्देश:** सफल निविदादाता को प्रत्येक आपूर्ति के समय औषधियों को नई जूट की बोरियों में विधिवत पैक कर संस्थान के निर्दिष्ट स्थान पर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जूट की बोरी पर एक सफेद टैग (White Tag) लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट एवं पठनीय रूप से अंकित होना चाहिए:
- फर्म का नाम (Name of the Firm)
  - औषधि का नाम (Name of the Drug)
  - मात्रा/वजन (Weight)
  - आपूर्ति वर्ष (Year of Supply)
- उपरोक्त अनुसार उचित लेबलिंग (Labeling) के बिना आपूर्ति की गई सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी तथा ऐसी सामग्री को अस्वीकृत (Rejected) किया जा सकेगा।

सफल निविदादाता को औषधियों की आपूर्ति निर्धारित माप-तौल एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप, समस्त करें एवं शुल्कों सहित, एफ.ओ.आर. (F.O.R.) आधार पर संस्थान को करनी होगी।  
एफ.ओ.आर. (F.O.R.) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को सामग्री को पूर्ण उत्तरदायित्व एवं व्यय सहित सुरक्षित रूप से सीधे संस्थान के निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचाना होगा, जिसमें परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग तथा अन्य सभी संबंधित व्यय शामिल होंगे।

15. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूनों तथा आपूर्ति के समय आवश्यकतानुसार औषधियों का परीक्षण (Testing) कराया जा सकता है। आवश्यकता होने पर परीक्षण संस्थान की प्रयोगशाला अथवा किसी मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष (NABL) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जा सकता है। यदि परीक्षण रिपोर्ट में सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो ऐसी आपूर्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। संस्थान द्वारा प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी फर्मों द्वारा मान्य होगा।
16. केवल न्यूनतम दर (L-1) के आधार पर क्रय आदेश जारी करना अथवा दर स्वीकृत करना संस्थान के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषधि का नमूना अमान्य पाया जाता है, तो संबंधित औषधि हेतु उसकी BOQ में प्रस्तावित न्यूनतम दर (L-1) होने पर भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित नमूनों के आधार पर ही दरें मान्य होंगी।  
यदि किसी औषधि हेतु एक से अधिक फर्मों की न्यूनतम दर (L-1) समान होती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित फर्मों का टर्नओवर (Turnover) देखा जाएगा तथा जिस फर्म का टर्नओवर अधिक होगा, उसकी दर को प्राथमिकता देते हुए उसे आपूर्ति आदेश प्रदान किया जाएगा।  
प्रस्तुत की गई कच्ची औषधियाँ यदि अनुमोदित नमूनों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. **Make in India (Class-I Local Supplier Preference):** भारत सरकार के "Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017" तथा समय-समय पर संशोधित आदेशों/अधिसूचनाओं के अनुसार, निर्दिष्ट वस्तुओं/उत्पादों के क्रय में Class-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। Class-I Local Supplier के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम स्थानीय सामग्री (Local Content) 50% होना अनिवार्य है।  
इसके लिए निविदाकारों को एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र (Self-Declaration Certificate) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्थानीय सामग्री का प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो।
18. **MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) एवं स्टार्टअप** श्रेणी के पात्र निविदादाताओं को, संबंधित श्रेणी (Relevant Category) का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र (जैसे Udyam Registration/Startup Recognition Certificate) प्रस्तुत करने पर, भारत सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।  
पात्र फर्मों को लागू प्रावधानों के अनुसार EMD से छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते वे संबंधित श्रेणी में पंजीकृत हों तथा Bid Security Declaration प्रस्तुत करें।  
साथ ही, ऐसे निविदादाताओं को जो कि **स्वयं उत्पादक** हैं को 'Public Procurement Policy for MSEs, 2012' एवं संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद में वरीयता एवं अनुभव / टर्नओवर शर्तों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा सकेगी।
19. **प्री – बीड मीटिंग (Pre-Bid Meeting):** निविदा के संबंध में इच्छुक निविदादाताओं हेतु प्री – बीड मीटिंग (Pre-Bid Meeting) संस्थान में दिनांक **02.04.2026** को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी।

20. सभी इच्छुक/संभावित निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव/स्पष्टीकरण/ Queries, यदि कोई हों, तो प्री-बिड मीटिंग से पूर्व अथवा अधिकतम 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में संस्थान की ई-मेल आईडी nia.centralstore7@gmail.com एवं store-nia-rj@gov.in पर प्रेषित करें।
21. यदि किसी निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को किसी भी कारणवश देय राशि से अधिक भुगतान हो जाता है, तो वह अतिरिक्त राशि तत्काल संस्थान में वापस जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता/आपूर्तिकर्ता की कोई भी आपत्ति या शर्त मान्य नहीं होगी तथा संस्थान को उक्त अतिरिक्त राशि की वसूली (Recovery) करने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. यदि आपूर्ति की गई औषधियाँ प्रस्तुत किए गए अनुमोदित नमूनों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें अमान्य (Reject) घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री को अपने व्यय पर तत्काल संस्थान परिसर से शीघ्र हटाना अनिवार्य होगा। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो संस्थान को उक्त सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में आपूर्तिकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अमान्य घोषित सामग्री के खोने, क्षति होने अथवा कमी होने के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
23. आदेशित सामग्री की आपूर्ति रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान ही की जाएगी।
24. क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं लागत अनुमानित है, जिसे आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की संपूर्ण खरीद करने के लिए संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई भी दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
25. प्राप्त निविदाओं को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार संस्थान/कुलपति महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।
26. निविदा में अंकित दरें प्रथम क्रय आदेश (Purchase Order) की तिथि से 09 माह तक की अवधि तक प्रभावी रहेंगी। निविदादाताओं को प्रत्येक क्रय आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्वीकृत दरों पर सामग्री की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति संतोषजनक पाए जाने पर, कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की स्वीकृति से, निर्धारित दरों पर औषधियों की आपूर्ति हेतु अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
27. औषधियों की आंशिक आपूर्ति (टुकड़ों में) स्वीकार्य नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के भीतर (एक साथ) एकमुश्त आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों में, फर्म के लिखित अनुरोध पर, डिलीवरी अवधि बढ़ाने का अधिकार कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। डिलीवरी अवधि में विस्तार हेतु अनुरोध, निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बिना अवधि वृद्धि की स्वीकृति के विलंब से आपूर्ति की गई औषधियों को दंड (Penalty/ LD) सहित स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान/कुलपति महोदय को सुरक्षित रहेगा।  
यदि विलंब से आपूर्ति स्वीकार की जाती है, तो निम्नानुसार दंड अधिरोपित किया जाएगा :  
(क) 15 दिवस तक के विलंब पर, विलंबित आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 5%।

- (ख) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिवस तक) विलंब पर, विलंबित आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 10 %। विलंब दंड (Liquidated Damages) की कुल अधिकतम सीमा आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 10% से अधिक नहीं होगी।
- (ग) यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंब अवधि (Delay Period) समाप्त होने तक भी आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा आंशिक आपूर्ति की जाती है, तो संस्थान द्वारा सामग्री खुले बाजार से क्रय की जाएगी तथा मूल्य में अंतर की राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जाएगी।
- (घ) आपूर्ति में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि ½ (आधे) दिन से कम का है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।
28. फर्म द्वारा चालान, बिल/इनवॉइस तीन प्रतियों में तथा GST नियमों के अनुसार संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
29. किसी भी औषधि की आपूर्ति न करने (Non-Supply), विलंब से आपूर्ति (Late Supply) अथवा कम मात्रा में आपूर्ति (Short Supply) की प्रत्येक घटना पर पृथक रूप से शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाएगी।
30. फर्म / संस्था के गठन (Constitution) में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निविदादाता द्वारा लिखित रूप में कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को देना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी परिवर्तन के फलस्वरूप, अनुबंध के अंतर्गत फर्म के पूर्व सदस्यों /सांझेदारों को उनके उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा।
31. संविदा के संबंध में फर्म के किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे संविदा की समस्त शर्तों को मानने हेतु लिखित रूप से बाध्य न हों तथा इस संबंध में कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को विधिवत हस्ताक्षरित लिखित इकरारनामा प्रस्तुत न कर दें।
32. यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को धरोहर/ अमानत / सिक्युरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
33. निविदादाता फर्म को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प (Non – Judicial Stamp) पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट (Blacklist) नहीं की गई है। उक्त कथन असत्य होने पर कुलपति द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
34. प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी, आग, बाढ़, हड़ताल अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों (Force Majeure) के कारण आपूर्ति में विलंब होने पर, संबंधित पक्ष द्वारा उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड (Penalty / Liquidated Damages) से छूट दी जा सकती है। यदि अनुमोदित विक्रेता किसी अपरिहार्य परिस्थितियों / कारणवश निर्धारित अवधि में आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है, तो विलंब के कारण उत्पन्न होते ही वह तत्काल लिखित रूप में संस्थान को सूचित करना अनिवार्य होगा। डिलीवरी अवधि में विस्तार हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोष (Merits) के आधार पर डिलीवरी अवधि में अधिकतम 04 (चार) सप्ताह तक का विस्तार (with / without Penalty (Liquidated Damages) प्रदान किया जा सकेगा। यह विस्तार दो-दो सप्ताह के दो चरणों में दिया जाएगा।

35. आपूर्ति अवधि की गणना क्रय आदेश (Purchase Order) की निर्गमन के अगले कार्य दिवस से की जाएगी।
36. निविदादाता निविदा भरते समय बीओक्यू (BoQ) में जीएसटी (GST) राशि कुल मात्रा की राशि के अनुसार बनने वाली जीएसटी राशि भरें। अगर किसी निविदादाता द्वारा प्रति किलो की जीएसटी राशि भरी जाती है तो उसे पूर्ण जीएसटी राशि सहित ही माना जावेगा।
37. अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबंध निवर्तन से संबंधित सभी प्रश्न कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेंगे एवं उसमें कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
38. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

-sd-  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर  
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

रसायनशाला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर  
सत्र 2026-27 के निविदा हेतु कच्ची औषधियों की सूची

Sr. No.	औषधि का नाम (Drug Name)	टेण्डर किए जाने हेतु आवश्यक प्रस्तावित मात्रा (किलो ग्राम/ली) (9 माह हेतु)	Measuring Unit
1.	ऑवला Amalaki <i>Emblica officinalis</i> Gaertn शुष्क फलमज्जा (P.)	6672	KG
2.	अर्जुन छाल Arjuna <i>Terminalia arjuna</i> W & A शाखा त्वक (St.Bk.)	1308	KG
3.	अश्वगंधा <i>Ashwagandha Withania somniafer</i> Dunal मूल (Rt.)	6854	KG
4.	बहेडा Baheda <i>Terminalia bellerica</i> Roxb. शुष्क फलमज्जा (P.)	3173	KG
5.	टंकण / बाल सुधा Tankan(Borax)	4376	KG
6.	बिल्व गिरि Bilvagiri <i>Aegle marmelos</i> Corr. शुष्क फलमज्जा ( Frt.Pulp)	679	KG
7.	चोपचीनी Chopchini <i>Smilax china</i> Linn मूल (Rt.)	1439	KG
8.	गोदन्ती Godanti Calcium sulphate	814	KG

9.	गोखरू छोटा Gokharu <i>Tribulus terrestris</i> Linn फल (Fr.)	6281	KG
10.	हरितकी Haritaki <i>Terminalia chebula</i> Retz शुष्क फलमज्जा (P.)	6572	KG
11.	कुटकी Kutaki <i>Picorrhiza kurroa</i> Royle मूल (Rt.)	1211	KG
12.	मुलेठी Mulethi <i>Glycerrhiza glabra</i> Linn मूल (Rt.)	2641	KG
13.	नागकेसर Nagkeshara <i>Mesua ferrea</i> Linn पुंकेशर (Stmn.)	740	KG
14.	सौंठ Shunthi <i>Zingiber officinale</i> Rosc प्रकन्द (Rz.)	4207	KG
15.	पिप्पली छोटी Pippali <i>Piper longum</i> Linn फल (Fr.)	2130	KG
16.	पिप्पलामूल Pippali moola <i>Piper longum</i> Linn मूल (Rt.)	449	KG
17.	चित्रक Chitraka <i>Plumbago zeylanica</i> Linn. मूल (Rt.)	327	KG
18.	चव्य Chavya <i>Piper retrofractum</i> Vahl शाखा (St.)	204	KG
19.	कंकोल/शीतल मरिच Kankola <i>Piper cubeba</i> Linn फल (Fr.)	1067	KG
20.	पुष्करमूल Puskaramoola <i>Inula racemosa</i> Hook F. मूल (Rt.)	303	KG
21.	शतावरी Shatavari <i>Asparagus recemosus</i> Willd मूल (Rz.)	3201	KG
22.	फिटकरी Fitakari(Alum) $K_2SO_4Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	923	KG

23.	निशोथ Nishotha <i>Operculina turpethum</i> (L.) मूल (Rt.)	3842	KG
24.	सैधव लवण Saindhav lavana Rock salt	1324	KG
25.	सौंफ Saunfa <i>Anethum sowa</i> फल (Fl.)	815	KG
26.	काली मरिच Maricha <i>Piper nigrum</i> फल (Fr.)	1262	KG
27.	विधायरा Vidhayara <i>Argyreia speciosa</i> मूल (Rt.)	699	KG
28.	चीनी (एम.31) Sugar (M-31)	7791	KG
29.	छोटी इलायची Ela <i>Elettaria cardamomum</i> (Linn.) फल (Fr.)	650	KG
30.	तेजपत्र Tejapatra <i>Cinnamomum tamala</i> (Buch. Ham.) पत्र (Lf.)	204	KG
31.	लौंग Lavanga <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr.& L. Perry पुष्प कलिका (Fl.Bd.)	898	KG
32.	दालचीनी Dalchini <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume शाखा त्वक (St.bk.)	360	KG
33.	खड़िया मिट्टी Khadiya mitti Kaolinite	574	KG
34.	कर्पूर देशी (आई.पी.) Karpoor(I.P.) <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Nees Satva	79	KG
35.	वंशलोचन Vamshlochana <i>Bamusa</i>	1285	KG

	<i>bambos Druce</i> (S.C)		
36.	धनिया Dhanyaka <i>Coriandrum sativum</i> फल (Fr.)	167	KG
37.	अनारदाना Dadima (seed) <i>Punica granatum</i> Linn बीज (Sd)	233	KG
38.	मिश्री Sita (mishri) <i>Saccharum officinarum</i> Linn (St.)	5704	KG
39.	गाजवाँ Gajava <i>Onosma bracteatum</i> Wall सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	213	KG
40.	मुनक्का / द्राक्षा Munakka/Draksha <i>Vitisvinifera</i> Linn शुष्क फल (Dr.Fr.)	237	KG
41.	अंजीर Anjeera <i>Ficus hispida</i> Linn.f. शुष्क फल (Dr.Fr.)	214	KG
42.	उन्नाव Unnav <i>Zizyphus jujuba</i> शुष्क फल (Fr.)	214	KG
43.	वासा Vasa <i>Adhatoda vasica</i> Nees सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	240	KG
44.	जूफा Jufa <i>Hyssopus officinalis</i> सम्पूर्ण वनस्पति (Fr.)	213	KG
45.	लेसवा Lesava <i>Cardia dichotoma</i> Forst शुष्क फल (Fr.)	287	KG
46.	खूबकला Khubakala <i>Sisymbrium irio</i> Linn बीज (Sd.)	217	KG
47.	हंसराज Hansraja <i>Adiantum lunulatum</i> Burm सम्पूर्णवनस्पति (Pl.)	213	KG
48.	गुलबनप्सा Gulbanpsa <i>Viola odorat</i> सम्पूर्णवनस्पति (Fl.)	213	KG
49.	अलसी Alsi <i>Linum usitatisimum</i>	214	KG

	Linn बीज (Sd.)		
50.	रेशाखत्मी Reshakhatmi <i>Althaea officinalis</i> मूल (Rt.)	214	KG
51.	लाल चन्दन Lalchandana <i>Pterocarpus santalinus</i> Linn.f. काष्ठ मज्जा (Hd.Wd.)	104	KG
52.	कुटज छाल Kutaja <i>Holarrhenaantidysenterica</i> (Roth) शाखा त्वक (St.Bk)	659	KG
53.	हल्दी Haldi <i>Curcumalonga</i> Linn प्रकन्द (Rz.)	323	KG
54.	चिरायता Chirayata <i>Swertia chirata</i> Buch सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	156	KG
55.	जामुन की गुठली Jamuna seed <i>Syzygiumcumini</i> (Linn.) शुष्क बीज (Sd.)	416	KG
56.	आम की गुठली Amra seed <i>Mangifera indica</i> Linn शुष्क बीज मज्जा (Sd.)	416	KG
57.	सूखा करेला Karela(dry) <i>Momordicacharantia</i> Linn शुष्क फल (Fr.)	416	KG
58.	गुडमार Gudamara <i>Gymnema sylvestre</i> R.Br पत्र (Lf.)	416	KG
59.	दानामेथी Danamethi <i>Trigonellafoenum-graecum</i> Linn बीज (Sd.)	416	KG
60.	बिल्वपत्र Bilvapatra <i>Aegle marmelos</i> Carr शुष्क पत्र (Lf.)	419	KG
61.	नीम की निमोली Neem dry seed <i>Azadirachta indica</i> A. Juss शुष्क बीज (Sd.)	416	KG
62.	बला बीज Bala beeja <i>Sida</i>	1025	KG

	<i>cardifolia</i> Linn बीज (Sd.)		
63.	सनाय पत्ता Sanaya leaf <i>Cassia angustifolia</i> Vahl पत्र (Lf.)	1973	KG
64.	बबूल फली Babula <i>Acacia arabica</i> Willd. शुष्क फली (Fr.)	416	KG
65.	कांचनार छाल Kanchnara <i>Bauhinia variegata</i> Blume शाखा त्वक (St. Bk.)	315	KG
66.	कण गुग्गुलु Kana Guggula <i>Commiphora mukul</i> Engl निर्यास (Exd.)	4201	KG
67.	सफेद मुसली Sweta musali <i>Chlorophytum tuberosum</i> Baker मूल (Rt.)	170	KG
68.	सोनागेरू Sonageru(Swarnagairika) Red ochre	1278	KG
69.	पुनर्नवा Punarnava <i>Boerhaavia diffusa</i> Linn मूल (Rt.)	1163	KG
70.	पटोल पत्र Patolapatra <i>Trichosanthes dioica</i> Roxb. पत्र (Lf.)	516	KG
71.	एरण्ड तैल; आई.पी. Erand taila(I.P.) <i>Ricinus communis</i> (Oil)	330	LT
72.	यवक्षार Yavkshara <i>Hordeum vulgare</i> Linn (Pl.)	234	KG
73.	रास्ना Rasna <i>Pluchea lanceolata</i> Oliver & Hiern पत्र (Lf.)	795	KG
74.	बिल्व छाल Bilva <i>Aegle marmelos</i> शाखा त्वक (St.Bk)	1492	KG
75.	अरणी छाल Arni(Agnimantha) <i>Clerodendrum phlomidis</i> Linn. शाखा त्वक (St.Bk)	1492	KG

76.	अरलू छाल Arlu <i>Alinthex excelsa</i> . शाखा त्वक (St.Bk)	1493	KG
77.	पाढल छाल Padhala(Patala) <i>Stereospermum suaveolens DC.</i> शाखा त्वक (St.Bk)	1493	KG
78.	गंभारी छाल Gambhari <i>Gmelina arborea Roxb</i> शाखा त्वक (St.Bk)	1492	KG
79.	छोटी कटेली Kantakari <i>Solanum surattense Burm</i> सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	1749	KG
80.	बड़ी कटेली Brihati <i>Solanum indicum Linn.</i> सम्पूर्णवनस्पति & मूलधशाखा (Pl.)	1520	KG
81.	पृश्नपर्णी Prishnaparni <i>Uraria picta Desv</i> सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	1520	KG
82.	शालपर्णी Shalaparni <i>Desmodium gangeticum DC.</i> सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	1520	KG
83.	तिल तैल (एग्मार्क)* 15Lt के पैकिंग में देना होगा Tila taila(Agmark*) Packing size-15Lt <i>Sesamum indicum Linn.</i> (Sd.)	15407	Lt
84.	शहद (एग्मार्क) Honey (Agmark*)	841	KG
85.	गुड Guda <i>Saccharum officinarum Linn</i> (St.)	252	KG
86.	जहर मोहरा Jaharamohara (Serpentine) hydrous silicate of Magnesium	95	KG
87.	हरताल तबकिया Hartal tabakia Arsenic trisulphide ( $As_2S_3$ )	77	KG
88.	शंखनाभी Sankhanabhi Conch shell	744	KG
89.	पठानी लोध्र Pathani Lodhra <i>Symplocos racemosa Roxb</i> शाखा त्वक (St.Bk.)	1187	KG

90.	खस Khasa <i>Vetiveria zizanioides</i> (Linn.) मूल (Rt.)	241	KG
91.	अमलतास Amaltasa <i>Cassia fistula</i> Linn शुष्कफल मज्जा (Fr.P.)	699	KG
92.	एरण्डमूल Erand moola <i>Ricinus communis</i> Linn मूल (Rt.)	725	KG
93.	देवदारु Devadaru <i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) Loud काष्ठ मज्जा (Ht.wd.)	1144	KG
94.	सुपारी Supari <i>Areca catechu</i> Linn बीज (Sd.)	284	KG
95.	वाय विडंग Vidanga <i>Embelia ribes</i> Burm फल (Fr.)	1115	KG
96.	खदिरसार (कत्था सफेद) Khadirasara <i>Acacia catechu</i> (Linn. काष्ठ मज्जा (Ht.Wd.)	117	KG
97.	श्वेत जीरा Swetajeera <i>Cuminum cyminum</i> , Linn फल (Fr.)	502	KG
98.	अतीस कडवा Atis kadva <i>Aconitum heterophyllum</i> Wall मूल (Rt.)	185	KG
99.	समुद्री लवण Samudri lavana Sea salt	278	KG
100.	विड लवण Vida lavana Amonuim salt	190	KG
101.	गिलोय (गुडूची) Guduchi <i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.) शाखा (St.)	6998	KG
102.	काला जीरा Blackjeera <i>Carum carvi</i> Linn फल (Fr.)	456	KG
103.	अजवायन Ajwain <i>Trachyspermum ammi</i> (Linn.) फल (Fr.)	222	KG
104.	अजमोदा Ajamoda <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) फल (Fr.)	428	KG
105.	बला पंचांग Bala panchanga <i>Sida cordifolia</i> सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	524	KG
106.	बिदारीकन्द Vidarikanda <i>Pueraria tuberosa</i> DC. कन्द (Tuberous root.)	494	KG

107.	तालीस पत्र Talishapatra <i>Abies webbiana</i> Lindl पत्र (Lf.)	114	KG
108.	नागरमोथा Nagarmotha <i>Cyperus rotundus</i> Linn मूल (Rz.)	996	KG
109.	नीमछाल Neem bark <i>Azadirachta indica</i> A. Juss शाखा त्वक् (St.Bk.)	535	KG
110.	तुलसी पंचांग Tulasi panchanga <i>Ocimum sanctum</i> Linn सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	112	KG
111.	नवसादर Navasadara <i>Amonium chloride</i>	56	KG
112.	निम्बुसत्त्व (आई.पी.) Nimbu satva(I.P.) <i>Citrous limon</i> (L.) Burm.f. Satva	56	KG
113.	कर्कटशृंगी Karkatshringi <i>Pistacia integerrima</i> Stew गोल (Gl.)	87	KG
114.	वराटिका Varatika Cowry shell	132	KG
115.	वचा Vacha <i>Acorus calomus</i> Linn प्रकन्द (Rz.)	80	KG
116.	बबूल छाल Babula bark <i>Acacia arabica</i> Willd शाखा त्वक (St. Bk.)	234	KG
117.	कूठ कडवा Kustha kadva <i>Saussurea lappa</i> C.B. Clarke मूल (Rt.)	99	KG
118.	पारद (Hg.)(99.99%pure) Mercury(hg.)(99.99% pure)	2	KG
119.	अपामार्ग पंचांग Apamarga <i>Achyranthes aspera</i> Linn सम्पूर्ण वनस्पति (Pl.)	4	KG
120.	भारंगी छाल Bharangi bark <i>Clerodendrum serratum</i> Linn मूल (Rt.)	17	KG
121.	गंधक आँवलासार Gandhaka amalasara Sulpher	569	KG
122.	वरुण छाल Varuna <i>Crataeva nurvala</i> Buch-Ham शाखा त्वक (St.Bk.)	125	KG

123.	अम्लवेतस <i>Amlavetasa Garcinia pedunculata</i> फल (Fr.)	53	KG
124.	मंजीठ <i>Manjistha Rubia cordifolia</i> Linn. मूल (St.)	284	KG
125.	करंज बीज <i>Karanja beeja Pongamia pinnata</i> बीज (Sd.)	53	KG
126.	मोम देशी (आई.पी-) <i>Bees wax</i> (I.P.)	125	KG
127.	बबुल गोंद (आई.पी-) <i>Babula gonad</i> (I.P.) <i>Acacia arabica</i> Willd निर्यास (St.Ext.)	157	KG
128.	दारुहल्ली <i>Daruhaldi Berberis aristata</i> DC. काष्ठ मज्जा (Ht.Wd.)	227	KG
129.	अजवायन सत्व (आई.पी) <i>Ajwain satva Trachyspermum ammi</i> (Linn.) (I.P.) (Satva)	14	KG
130.	पुदिना सत्व (आई.पी.) <i>Pudina satva Mentha spicata</i> var. (Satva)	119	KG
131.	गुलाब फूल <i>Gulab dry flower Rosa centifolia</i> Linn शुष्क फूल <i>Dry petals</i>	98	KG
132.	सर्पगंधा <i>Sarpagandha Rauwolfia serpentina</i> Benth मूल (Rt.)	196	KG
133.	अकीक <i>Akika (Agate) silica mineral(Sio2)</i>	95	KG
134.	सोया <i>Soya(Shatpushpa) Anethum sowa</i> फूल (Fl.)	311	KG
135.	सांभर लवण <i>Sambhara lavana Sambar salt</i>	17	KG
136.	पद्माख <i>Padmakha Prunus cerasoides</i> शाखा (st.)	50	KG
137.	निलोत्पल <i>Nilotpala Nymphaea stellata</i> Willd. फूल (Fl.)	74	KG
138.	सारिवा <i>Sariva Hemidesmus indicus</i> मूल (Rt.)	234	KG

139.	नीलाथोथा Neela thotha(Blue vitriol) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	50	KG
140.	हिंगुल Hingula Cinnabar	2	KG
141.	वत्सनाभ Vatsanabha <i>Aconitum ferox</i> wall.ex.Ser. प्रकन्द (Rt.Tr.)	58	KG
142.	कुचला Kuchala <i>Strychnos nux-vomica</i> Linn बीज (Sd.)	20	KG
143.	भल्लातक Bhallatka <i>Semecarpus anacardium</i> Linn. फल (Fr.)	47	KG
144.	निम्बपत्र Nimbapatra <i>Azadirachta indica</i> A. Juss पत्र (Lf.)	607	KG
145.	जाति पत्र(चमेली) Jatiptra <i>Jasminum officinale</i> Linn पत्र (Lf.)	50	KG
146.	हींग Hingu niryasa <i>Ferula foetida</i> Regel निर्यास (Exd.)	316	KG
147.	दन्ति Danti <i>Baliospermum montanum</i> Muell –Arg. मूल (Rt.)	14	KG
148.	कहरवा Kaharava Amber( <i>trnakantamani</i> )	96	KG
149.	कालानमक kalanamka Black salt	371	KG
150.	भूमिआवंलाBhumiamla <i>Phyllanthus niruri</i> Hook सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	206	KG
151.	इंद्रवारुणी Indravaruni <i>Citrullus colocynthis</i> मूल (Rt.)	131	KG
152.	शिग्रुछाल Shigrubark <i>Moringa pterygosperma</i> Gaertn शाखा त्वक (St. Bk.)	114	KG
153.	काकमाची Kakamachi(Makoya) <i>Solanum nigrum</i> Linn सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	182	KG
154.	प्रवालशाखा Pravala shakha Coral –शाखा Branch	125	KG
155.	प्रवालमूल Pravala Moola Coral मूल (Rt.)	188	KG
156.	औदिभिद लवण Aaudbhida Lavana	53	KG

157.	छोटी हरीतकी(जवा हरीतकी) Choti Haritaki(Jawaharitaki) <i>Terminalia Chebula</i> Retz शुष्क फलमज्जा (P.)	3278	KG
158.	लोह Louha Iron	107	KG
159.	मण्डूर Mandura Ferric oxide (API standard)	289	KG
160.	मुक्ताशुक्ती Muktashukti Oyster Shell	368	KG
161.	निर्गुण्डी पत्र Nirgundi Patra <i>Vitex negundo</i> Linn पत्र (Lf.)	962	KG
162.	रोहितक Rohitaka <i>Tecomella undulate</i> (G.Don)Seem शाखा त्वक (St. Bk.)	74	KG
163.	सर्षप तैल;एग्मार्क) ;(15Lt के पैकिंग में देना होगा) Sarshap Taila(Agmark*) Packing size-15 lt <i>Brassica campestris</i> Linn बीज (Sd.)	317	Lt.
164.	रसांजन Rasanjan	12	KG
165.	श्वेतचंदन Candana(Sveta) <i>Santalum album</i> Linn काष्ठ मज्जा (Ht.Wd.)	32	KG
166.	अभ्रक Abhraka Mica (biotite)	3	KG
167.	अभ्रकपत्र Abhraka Mica (sheet) Mica (biotite)	8	KG
168.	अगरू Agarū <i>Aquilaria agallocha</i> Roxb. काष्ठ मज्जा (Ht.Wd.)	32	KG
169.	दर्भ Darbha <i>Imperata cylindrical</i> Beauv. मूल (Rt.)	21	KG
170.	धातकीपुष्प Dhatakipuspa <i>Woodfordia fruticosa</i> Kurz. फूल (Fl.)	1	KG
171.	प्रियनगु Priyangu <i>Callicarpa macrophylla</i> फूल (Fl.)	13	KG
172.	कुटज बीज Kutaj beeja	13	KG

	<i>Holarrhena antidysenterica</i> बीज (Sd.)		
173.	गजप्पिपली Gajapippali <i>Scindapsus officinalis</i> Schult. फल (Fr.)	1	KG
174.	गंधविरोजा Gandhabiroja <i>Pinus roxburghii</i> sargent निर्यास (Exd.)	1	KG
175.	इक्षुमूल Iksu mool <i>Saccharum officinarum</i> Linn मूल (Rt.)	21	KG
176.	जावित्री Jatikosha(Javitri) <i>Myristica fragrans</i> Houtt. अरिल (Ar.)	1	KG
177.	जायफल Jatiphala <i>Myristica fragrans</i> Houtt. फल (Fr.)	1	KG
178.	जीवक Jivaka <i>Microstylis muscifera</i> Ridley प्रकन्द (Rz.)	45	KG
179.	जीवन्ती Jivanti <i>Leptadenia reticulate</i> W.& A. सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	45	KG
180.	ककनासिका Kakanasika <i>Maritima annua</i> Linn फल (Fr.)	23	KG
181.	काकोली Kakoli <i>Lilium polyphyllum</i> D.Don. कन्द (Rz.)	23	KG
182.	कमलबीज Kamal seed <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn बीज (Sd.)	1	KG
183.	कास Kasa <i>Saccharum spontaneum</i> Linn मूल (Rt.)	21	KG
184.	कसेरु Kaseru <i>Scirpus kysoor</i> Roxb. मूल कन्द (Rt tbr)	1	KG
185.	लालमिर्चबीज LalaMirchaBeeja <i>Capsicum annum</i> Linn बीज (Sd.)	212	KG
186.	मदनफल MadanphalaChoorna <i>Randia dumetorum</i> Lamk. फल (Fr.)	8	KG
187.	मण्डूकपर्णी Mandukaparni <i>Centella asiatica</i> (Linn) Urban सम्पूर्ण	8	KG

	वनस्पति (W.P.)		
188.	माषपर्णी Masaparni <i>Teramnus Labialis</i> Spreng सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	45	KG
189.	मेदा Meda <i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle. कन्द (Rz.)	45	KG
190.	मुद्गापर्णी Mudgaparni <i>Phaseolus radiates</i> Ait. सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	45	KG
191.	नेत्रबला(उदीच) Netrabala(Udichya) <i>Povania odorata</i> Willd. मूल (Rt.)	1	KG
192.	पलास Palasha(bk) <i>Butea monosperma</i> (Lam.) (Kuntze) शाखा त्वक (St. Bk.)	32	KG
193.	पर्पटक Parpataka <i>Fumaria parviflora</i> Lam सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	1	KG
194.	ऋद्धि Riddhi <i>Habenaria intermedia</i> D. Don कन्द (Rz.)	24	KG
195.	ऋषभक Rsabhaka <i>Microstylis wallichii</i> Lindl. कन्द (Rz.)	45	KG
196.	सहचर Sahacher(Saireyaka) <i>Barleria prionitis</i> Linn सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	101	KG
197.	शैलेय (छरीला) Saileya(chadila) <i>Parmelia perlata</i> Ach. सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	1	KG
198.	शंखपुष्पी Sankhapuspi <i>Convolvulus pluricaulis</i> Choisy सम्पूर्ण वनस्पति (W.P.)	8	KG
199.	सप्तपर्ण Saptaparna <i>Alstonia scholaris</i> R.Br. शाखा त्वक (St. Bk.)	53	KG
200.	सर Sara <i>Saccharum munja</i> Roxb मूल (Rt.)	21	KG
201.	शटी Sati <i>Hedychium spicatum</i> Ham ex. Smith कन्द (Rz.)	24	KG

202.	शिशुपत्र <i>Shigrupatra Moringa oleifera</i> Lam पत्र (Lf.)	956	KG
203.	सिंहाडा <i>Srnagatak Trapa bispinosa</i> Roxb. फल (Fr.)	1	KG
204.	त्रायमाण <i>Trayamana Gentiana kurroo</i> Royle मूल (Rt.)	17	KG
205.	शालिमूल <i>Shali root Oryza sativa</i> Linn मूल (Rt.)	21	KG
206.	ईमली <i>Imali fruit (ripe) Tamarindus indica</i> Linn फल (Fr.)	50	KG
207.	स्टार्च चूर्ण <i>Starch powder</i>	50	KG
208.	शिलाजीत <i>Shilajit / Mineral pitch</i>	5	KG
209.	ताम्र (ताम्र99%) तार <b>Tamra (copper 99%)wire very fine</b>	2	KG
210.	सर्जिखार	109	KG

**Note-** Abbreviation for Plant Parts was taken from The Ayurvedic Formulary of India

(On Firm's Letterhead)

Bid Security Declaration

Tender No.: \_\_\_\_\_

Tender Name: \_\_\_\_\_

I/We, the undersigned, declare that:

1. I/We understand that, as per Government of India rules, MSME firms are exempted from submission of Earnest Money Deposit (EMD) subject to submission of Bid Security Declaration.
2. I/We hereby accept that if I/We withdraw or modify my/our bid during the period of validity, or if I/We are awarded the contract and fail to sign the contract or fail to submit Performance Security before the deadline defined in the tender document, then I/We shall be suspended/debarred from participating in tenders of the procuring entity for a period as decided by the competent authority.
3. I/We also understand that this Bid Security Declaration shall be binding upon us.

Firm Name: \_\_\_\_\_

Authorized Signatory: \_\_\_\_\_

Name & Designation: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Seal of Firm

- Authorized Signatory के हस्ताक्षर एवं मोहर अनिवार्य हैं।
- MSME होने का प्रमाण (Udyam Registration) साथ में देना होता है।

**Independent External Monitors (IEM)**

Either or both of the following Independent External Monitors will have the power to access the entire project document and examine any complaints received by him. In case of any change in IEMs, it will be informed accordingly.

The communication details of the IEMs are as follows: -

**a) ShriDevendra Kumar Pathak, IPS (Retd.)**

L/G4, Amrapali Sapphire,

Sector-45, Noida, UP- 201303

Mobile No. 9650806205

E-Mail: [pathak56515@gmail.com](mailto:pathak56515@gmail.com)

**b) Shri Varanasi UdayaBhaskar, Ex-CMD, BDL**

Flat No. 101, 1<sup>st</sup> Floor, Block No. B

ShriBalajiGulmohar Township,

Bachpalle, K V Rangareddy,

Hyderabad- 500090

Mobile No. 09490796474

E-Mail: [varudabha@yahoo.co.in](mailto:varudabha@yahoo.co.in)

**1. Integrity Pact**

- a) The Integrity pact essentially envisages the agreement between prospective vendors / Bidders & buyers committing the person/officials of both the parties not to exercise any corrupt influence on any aspects of the contract. Only those vendors/bidders who enter into such an integrity pact with the buyer would be competent to participate in the bid. The format of integrity Pact is enclosed with tender documents.
- b) The “Integrity pact on Govt. issued Stamp paper of Rs. 100 Duly filled as per enclosed format to be submitted in original. Bidders to ensure that every page of IP is ink signed with company seal/Stamp in every page.

.....PACKAGE FOR

.....

BIDDING DOCUMENT NO. ....

**INTEGRITY PACT**

Between

National Institute of Ayurveda Deemed University (hereinafter referred to as “The Employer/Buyer”)

And

.....(hereinafter referred to as “The Bidder/Contractor “ ) And

.....(hereinafter referred to as “JV Partner/Consortium Members”



of bids or any other action to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.

- c) The Bidder/contractor undertakes not to commit any offence under the relevant Anti-corruption Laws of India; further the Bidder/contractor will not use improperly, any information or document provided by the Employer as part of the business relationship, regarding plans, technical, proposals and business details, including information contained or transmitted electronically for purpose of competition or personal gain and will not pass the information so acquired on to others.
  - d) The Bidder/Contractor, when presenting his bid, undertakes to disclose any and all payments made, or is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the bidding process and / or award of the contract.
  - e) The foreign Bidder/Contractor, when presenting his bid, undertakes to disclose the name and address of agents and representative in India. Further, Indian Bidder/Contractor when presenting his bid, undertakes to disclose the name and address of its foreign principals or associates.
2. The Bidder/Contractor will not instigate and allure third persons/parties to commit offences outlined above or be and accessory to such offences.

### **Section 3 Disqualification from Bidding Process and Exclusion from Future contracts**

1. If the Bidder(s)/contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of any provisions of Section 2 so as to put his reliability or credibility as Bidder into question, the Employer shall be entitled to disqualify the Bidders(s)/ contractor(s) from the bidding process or to terminate the contract, if signed on the ground.
2. If the Bidder/Contractor has committed a transgression through a violation of Section 2 such as to put his reliability or credibility into question, the Employer shall be entitled to exclude including blacklist and put on holiday the Bidder/Contractor for any future tenders/Contract award process. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of the transgression. The severity will be determined by the Employer taking into consideration the full facts and circumstances of each case particularly taking into account the number of transgressions, the position of the transgressors within the company hierarchy of the Bidder and the amount of the damage. The exclusion will be imposed for a period not exceeding two (02) years.
3. A transgression is considered to have occurred if the Employer after due consideration of the available evidence concludes that no reasonable doubts is possible.
4. The Bidder with its free consent and without any influence agrees and undertakes to respect and uphold the Employer's absolute rights to resort to and impose such exclusion and further accepts and undertakes not to challenge or question such exclusion on any ground, including the lack of any hearing before the decision to resort to such exclusion is taken. This undertaking is given freely and after obtaining independent legal advice.
5. Subject to full satisfaction of the Employer, the exclusion of Bidder/contractor could be revoked by the Employer if the Bidder/Contractor can prove that he has restored/recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system in his organization.

### **Section 4 Compensation for Damages including Forfeiture of Earnest Money Deposit/ Security Deposit/ Performance & Advance Bank Guarantees**

1. If the Employer has disqualified the Bidder/Contractor from the bidding process or has terminated the contract pursuant to Section 3, the Employer shall forfeit the Earnest Money Deposit/Bid Security, encash contract performance Bank Guarantees in addition to excluding the

- bidder from the future award process and terminating the contract.
2. In addition to 1 above, the Employer shall be entitled to take recourse to the relevant provisions of the contract related to Termination of contract due to contractor's Default.

## **Section 5 Pervious Transgressions**

1. The Bidder swears on oath that no previous transgression impinging on anti-corruption principles / any malpractice as mentioned in Section-2 has occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact, with any other company / any Public Sector Enterprise/ Undertaking in India / any government Department in India.
2. If the Bidder makes incorrect statement on previous transgression as mentioned above in para 1, bidder can be disqualified from the bidding process or the contract, if already awarded, can be terminated on this ground.

## **Section 6 Company code of conduct**

Bidders are also advised to have a company code of conduct (clearly rejecting the use of bribes and other unethical behaviour) and a compliance program for the implementation of the code of conduct throughout the company.

## **Section 7 Independent External Monitors (IEM)**

1. The Employer will appoint competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the IEMs is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
2. The IEMs are not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He shall report to CMD of the Employer or a person authorized by him.
3. The Bidder/Contractor accepts that the IEMs have the right to access without restriction to all project documentations of the Employer including that provided by the contractor. The contractor will also grant the IEMs, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his Project Documentations. The same is applicable to Subcontractors. The IEMs are under contractual obligation to treat the information and documents of the bidder / contractor / Sub-contractors/ JV partners/Consortium member with confidentiality.
4. The Employer will provide to the IEMs sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Employer and the contractor. The parties offer to the IEMs the option to participate in such meetings.
5. As soon as the IEMs notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Employer (CMD of the Employer or a person authorized by him) and request to discontinue or to take corrective action, or to take other relevant action. The IEMs can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the IEMs has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action. However, Independent External Monitor shall give an opportunity to the bidder/contractor to present its case before making its recommendations to the Employer.

6. The IEMs will submit a written report to CMD of the Employer or a person authorized by him within 30 days from the date of reference or intimation to him by the employer and, should the occasion arise, submits proposals for correcting problematic situations.
7. The Bidder / Contractor accepts that they shall not approach courts while the matter / complaint / dispute has been referred to the IEM in terms of this pact and they shall await IEMs decision before approaching any court.
8. If the IEMs have reported to CMD of the Employer or a person authorized by him a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/ PC Act, and he has not, within reasonable time, taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the IEMs may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner, government of India.
9. The word “ IEM “ will include Singular or Plural.

**Section 8                      Pact Duration**

This pact comes into force from the date of signing by all the parties. It shall expire for the Contractor 09 months after the last payment under the respective Contract, and for all other unsuccessful bidders 6 months after the Contract has been awarded

**Section 9                      Miscellaneous Provisions**

1. This Pact is subject to Indian Law. The place performance and jurisdiction shall be Jaipur.
2. Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.
3. The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings.
4. If the contractor is a JV partnership / Consortium, this agreement must be signed by all the partners of JV / Consortium Partners as the case may be.

The Parties hereby sign this Integrity Pact at .....on this .....day of.....20.....

Employer	Bidder/ contractor	Joint Venture
Partner(s)/		Consortium
Member(s)		(As Applicable)

Witness	Witness	Witness
1. _____	1. _____	1. _____
2. _____	2. _____	2. _____

### अनुबन्ध—पत्र

1. यह करार आज दिनांक -----जो कि अनुमोदित वितरक कहलायेगा तथा जहाँ पर इस प्रकार का प्रसंग आवेगा इसमें उसका उत्तराधिकारी निष्पादन एवं प्रशासक भी शामिल होगा एवं दुसरी ओर से कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जिसका की अर्थ प्रसंग आने पर कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी से होगा, के बीच सम्पन्न किया गया।
2. चूँकि अनुमोदित वितरक कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर पर कच्ची औषधियाँ भेजने पर सहमत हो गया है। अतः इसके संलग्न अनुसूची में वस्तुएं डाल दी गई हैं तथा इसकी दरों का उल्लेख अनुसूची के कॉलम 4 में किया गया है।
3. चूँकि अनुमोदित वितरक ने रुपये-----डी.डी./बैंकर चैक संख्या-----दिनांक -----जो अनुबन्ध के उचित परिपालन के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिये हैं।
4. वे साक्षियाँ प्रस्तुत करते हैं कि :-
  - a. एतद् संलग्न अनुसूची में दी गई दरों पर कुलपति महो० राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये किये जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुये अनुमोदित वितरक निविदा एवं संविदा की शर्तों में व दिये गये तरीकों के अनुसार संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 व 3 में वर्णित उक्त वस्तुओं की कॉलम संख्या 5 में दी गई अवधि में उचित सप्लाइ करेगा।
  - b. ई-निविदा विज्ञापन संख्या ----- दिनांक ----- के साथ तथा अनुबन्ध के साथ भी संलग्न निविदा एवं संविदा की शर्तों को इस अनुबन्ध के एक भाग के रूप में समझा जावेगा, जो इस अनुबन्ध को करने वाली पार्टी द्वारा मान्य होगा।
  - c. निविदा दाता से प्राप्त पत्र, और संस्थान द्वारा जारी पत्र ----- दिनांक ----- जो इस अनुबन्ध के साथ संलग्न हैं इस अनुबन्ध पत्र के अंश होंगे।
  - d. संस्थान एतद् द्वारा इस बात पर सहमत होता है कि अनुमोदित वितरक उक्त तरीके से उपयुक्त माल की ठीक सप्लाइ करेगा तथा उक्त शर्तों को ध्यान में रखेगा एवं उसका पालन करेगा तो संस्थान अनुमोदित वितरक को प्रत्येक प्रेषित माल की देय राशि का उक्त शर्तों में दिये समय पर एवं उसमें बताये गये ढंग से कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये भुगतान करेगा अथवा करायेगा।
5. भुगतान ऑन लाईन पीएफएमएस के माध्यम से होगा।
6. कच्ची औषधियों की आपूर्ति शर्तों के अनुसार 30 दिन में करनी होगी।
7. यदि निविदादाता आपूर्ति आदेश में उल्लेखित समय में माल उपलब्ध करवाने में असफल रहता है अथवा क्रय अधिकारी द्वारा परिनिर्धारित शास्ति के साथ आपूर्ति अवधि में वृद्धि करने की दशा में निम्नलिखित दर से आदेश अनुरूप सप्लाइ किये जाने वाले सामान में से जिस मात्रा में से सामान सप्लाइ किये जाने में जिस अवधि की असफलता रही है, उसके माल की कीमत के आधार पर निम्नानुसार वसूली की जावेगी।
  - (क) 15 दिवस तक के विलंब पर, विलंबित आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 5%।
  - (ख) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिवस तक) विलंब पर, विलंबित आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 10 % . विलंब दंड (Liquidated Damages) की कुल अधिकतम सीमा आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 10% से अधिक नहीं होगी।
  - (ग) यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंब अवधि (Delay Period) समाप्त होने तक भी आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा आंशिक आपूर्ति की जाती है, तो संस्थान द्वारा सामग्री खुले बाजार से क्रय की जाएगी तथा मूल्य में अंतर की राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पणी :-

1. सप्लाई में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।
2. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता है तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थानमानद विष्वविद्यालय, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व होगा।
3. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विष्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विष्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पाटियों द्वारा दिनांक ----- को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

अनुमोदित वितरक के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

दिनांक-----

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

अनुसूची

क्र.सं. (1.)	नाम वस्तु/औषध (2)	मात्रा (3)	अनुमोदित दर प्रति किला (4)	आपूर्ति अवधि (5)
1				